24/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित, P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/24 को पेश हो। वादी के माध्यम से शपथ पत्र पेश हुआ व दस्तावेज प्रति पेश हुई, जो शामिल पत्रावली किया जावे।

03/09/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गयी। ~~कौसले~~ पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/09/24 को पेश हो।

17/9/24

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली मे बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी व वादी के दोनो भाईयो का सही नाम क्रमशः ओमप्रकाश पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, सुवालाल पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम है। परन्तु वादग्रस्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादी व वादी के भाईयो का बोलता नाम क्रमशः प्रकाश पुत्र सगरा, मूला पुत्र सगरा, सुवा पुत्र सगरा दर्ज हो गया। जबकि वादी व वादी के भाईयों के समस्त दस्तावेजात मे सही नाम दर्ज है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मे वादी व वादी के दोनो भाईयो का सही नाम क्रमशः ओमप्रकाश पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, सुवालाल पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम दुरुस्त किया जावे। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड व बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र, भाई मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, व दो गवाहान मूलाराम पुत्र माडूराम, शीशराम पुत्र रामेश्वरलाल के लिखित एव तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रकाश पुत्र सगरा व वादी के भाईयों का नाम मूला पुत्र सगरा, सुवा पुत्र सगरा अंकित है। वादी का कथन कि वादी व वादी के भाईयों का सही दस्तावेजी नाम क्रमशः ओमप्रकाश पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, सुवालाल पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये स्वयं के शपथ पत्र, भाई मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, व दो गवाहान मूलाराम पुत्र माडूराम, शीशराम पुत्र रामेश्वरलाल के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कैरवाली पटवार हल्का कोटडा स्थित भूमि खसरा सं0 643 रकबा 1.76 हैक्टे0 में दर्ज खातेदार प्रकाश पुत्र सगरा, मूला पुत्र सगरा, सुवा पुत्र सगरा के स्थान पर क्रमशः ओमप्रकाश पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, मूलचन्द पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम, सुवालाल पुत्र सगरुराम उर्फ शंकरराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:42:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner